झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका सं०- 3184/2018

---

1. नीरज कुमार सिंह
2. उमेश कुमार सिंह
3. शिवा सिंह ..... याचिकाकर्ता

-बनाम-

1. झारखंड राज्य
2. बेबी कुमारी ..... विपक्षी

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री प्रवीण शंकर दयाल, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : श्री भोला नाथ ओझा, ए.पी.पी.
विपक्षी संख्या 2 के लिए : श्री संजय कुमार पांडे, अधिवक्ता

06/16.02.2024 याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री प्रवीण शंकर दयाल, राज्य के विद्वान वकील श्री भोला नाथ ओझा और विपक्षी संख्या 2 के विद्वान वकील श्री संजय कुमार पांडे को सुना गया।

2. यह याचिका गढ़वा के विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में लंबित शिकायत वाद संख्या 04/2018 में दिनांक 21.03.2018 के संज्ञान आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर की गई है।

3. विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा शिकायत मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी शादी 22.04.2016 को याचिकाकर्ता संख्या 1 से हुई थी और शादी के कुछ हफ्तों के बाद, आरोपी व्यक्तियों ने शादी के समय दिए गए उपहार की आलोचना करना शुरू कर दिया। जब उसने विरोध किया तो याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अपनी मां के कहने पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की। वे 5 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। शिकायतकर्ता-विपक्षी संख्या 2 ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद वे जमशेदपुर आए और 27.05.2017 को उसकी सास को 1 लाख रुपये का भुगतान किया। यह भी आरोप लगाया गया कि लगभग एक महीने के बाद, फिर से आरोपी व्यक्तियों ने शेष राशि 4 लाख रुपये के भुगतान के लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 22.11.2017 को, आरोपियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की और उसे एक

कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने उसकी गर्दन दबाकर उसे मारने की भी कोशिश की। शिकायतकर्ता ने अपने माता-पिता और भाई को बुलाया और सभी सोनारी थाने गए, जहां मामला शांत हुआ। यह भी आरोप लगाया गया कि 22.12.2017 को जब वह अपने ससुराल में थी, तो उसे फैमिली कोर्ट, जमशेदपुर से एमटीएस केस संख्या 672/2017 का नोटिस मिला। बाद में पता चला कि यह मामला उसके पति ने तलाक के लिए दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया कि 31.12.2017 को सुबह करीब 4:00 बजे आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और उसे गढ़वा ले जाकर छोड़ दिया।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री दयाल ने कहा कि याचिकाकर्ता संख्या 1 पति है, याचिकाकर्ता संख्या 2 ससुर है और याचिकाकर्ता संख्या 3 विपक्षी संख्या 2 की सास है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। शिकायत याचिका के साथ-साथ गंभीर प्रतिज्ञान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सामान्य और बहुपक्षीय आरोप हैं। उन्होंने कहा कि यह वैवाहिक मुकदमा संख्या 672/2017 का जवाबी तर्क है, जिसे याचिकाकर्ता संख्या 1 ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जमशेदपुर के समक्ष विपक्षी संख्या 2 के साथ अपने विवाह को भंग करने के लिए दायर किया था। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने वैवाहिक जीवन की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की थी, जिसमें बाद में समझौता हो गया था और उसके बाद, दोनों पति-पत्नी एक साथ रह रहे थे और अचानक, विपरीत पक्ष संख्या 2 ने याचिकाकर्ताओं को प्रताड़ित किया, जिसके कारण 2017 के उक्त वैवाहिक वाद संख्या 672 का जन्म हुआ। इन आधारों पर, उन्होंने कहा कि दुर्भावनापूर्ण रूप से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत वर्तमान शिकायत मामला दायर किया गया था।

5. उक्त तर्क का विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री पाण्डेय द्वारा इस आधार पर विरोध किया जा रहा है कि मामला बनता है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 को प्रताड़ित करने के आरोप हैं। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका में समझौता होने के बावजूद विपक्षी पक्ष संख्या 2 को छोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने विपक्षी पक्ष संख्या 2 और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ वर्ष 2019 में शिकायत मामला दायर किया था। इन आधारों पर, उन्होंने कहा कि यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6. राज्य के विद्वान वकील श्री ओझा ने प्रस्तुत किया कि मामला शिकायत से उत्पन्न हुआ है और विद्वान न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सही ढंग से संज्ञान लिया है।

7. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 विपक्षी संख्या 2 का पति है। याचिकाकर्ता संख्या 1 ने पहले वैवाहिक जीवन की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत एक याचिका शुरू की थी और विपक्षी संख्या 2 की उपस्थिति के बाद, उक्त मामले का समझौता हो गया था और याचिकाकर्ता संख्या 1 विपक्षी संख्या 2 को अपने साथ ले गया था और उसके बाद, पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न होने के कारण विपक्षी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता संख्या 1 का साथ छोड़ दिया।

8. यह भी स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने वर्ष 2017 में ही वैवाहिक मुकदमा संख्या 672/2017 दायर किया है। शिकायत याचिका में, उक्त वैवाहिक मुकदमे में नोटिस प्राप्त होने का खुलासा पैराग्राफ 7 में किया गया है। वर्तमान शिकायत मामला 02.01.2018 को दायर किया गया था, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि यह शिकायत मामला विपक्षी पार्टी संख्या 2 द्वारा बाद में विचार किया गया है, जो उक्त वैवाहिक मुकदमे के प्रतिशोध में था।

9. भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के खिलाफ की गई क्रूरता को दंडित करने के प्रशंसनीय उद्देश्य से कानून में डाला गया था, खासकर जब ऐसी क्रूरता से महिला की आत्महत्या या हत्या होने की संभावना हो, जैसा कि अधिनियम 46/1983 के उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख किया गया है। इस न्यायालय के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों ने देखा कि ऐसी अधिकांश शिकायतें मामूली मुद्दों पर तात्कालिक आवेश में दर्ज की जाती हैं। ऐसी कई शिकायतें सद्भावनापूर्ण नहीं होती हैं। शिकायत दर्ज करते समय निहितार्थ और परिणामों की कल्पना नहीं की जाती है। इस तरह, ऐसी शिकायतें न केवल आरोपी को बल्कि शिकायतकर्ता को भी अनावश्यक उत्पीड़न का कारण बनती हैं। **राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण था, जिसकी रिपोर्ट **(2018) 10 एससीसी 472** में की गई थी।

10. यहां तक कि कुछ मामलों में, पतियों के बिस्तर पर पड़े दादा-दादी, दूसरे शहर में रहने वाली उनकी बहनों को भी मामले में फंसाया जा रहा है और इस मामले के इस पहलू पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य** के मामले में विचार किया है, जो **(2014) 8 एससीसी 273** में रिपोर्ट किया गया है।

11. भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत अधिकांश मामले बिना उचित विचार-विमर्श के तुच्छ मुद्दों पर तात्कालिक आवेश में दायर किए जा रहे हैं और यही विषय **प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष था, जिसकी रिपोर्ट **(2010) 7 एससीसी 667** में दी गई थी।

12. परिवार के सदस्यों को बार-बार वैवाहिक मुकदमेबाजी में घसीटा गया था और इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गीता मेहरोत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में विचार किया है, जिसकी रिपोर्ट **(2012) 10 एससीसी 741** में दी गई है। उक्त निर्णय का पैराग्राफ 21 इस प्रकार है:

> "21. इस चरण में जी.वी. राव बनाम एल.एच.वी. प्रसाद [जी.वी. राव बनाम एल.एच.वी. प्रसाद, (2000) 3 एससीसी 693: 2000 एससीसी (क्रि) 733] में दर्ज इस न्यायालय की उपयुक्त टिप्पणी पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें एक वैवाहिक विवाद में भी इस न्यायालय ने माना था कि उच्च न्यायालय को वैवाहिक विवाद से उत्पन्न शिकायत को खारिज कर देना चाहिए था, जिसमें सभी परिवार के सदस्यों को वैवाहिक मुकदमे में शामिल किया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया और अलग रखा गया। उनके माननीय न्यायाधीशों ने इसमें टिप्पणी की, जिससे हम पूरी तरह सहमत हैं कि:
>
> > '12. ... हाल के दिनों में वैवाहिक विवादों में वृद्धि हुई है। विवाह एक पवित्र समारोह है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवा जोड़े को जीवन में स्थापित होने और शांतिपूर्वक रहने में सक्षम बनाना है। लेकिन अचानक छोटी-छोटी वैवाहिक झड़पें शुरू हो जाती हैं जो अक्सर गंभीर रूप ले लेती हैं और परिणामस्वरूप जघन्य अपराध हो जाते हैं जिसमें परिवार के बड़े-बुजुर्ग भी शामिल हो जाते हैं और परिणामस्वरूप जो लोग परामर्श देकर समझौता करा सकते थे, वे आपराधिक मामले में आरोपी के रूप में पेश होने पर असहाय हो जाते हैं। वैवाहिक मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित न करने के कई अन्य कारण हैं जिनका उल्लेख यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है ताकि पक्षकार अपने-अपने चूकों पर विचार कर सकें और आपसी सहमति से अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से समाप्त कर सकें बजाय इसके कि वे इसे अदालत में लड़ें जहाँ इसे समाप्त होने में वर्षों लग जाते हैं और इस प्रक्रिया में पक्षकार अपने "युवा" दिन अलग-अलग अदालतों में अपने मामलों को आगे बढ़ाने में खो देते हैं।

13. के. सुब्बा राव बनाम तेलंगाना राज्य के मामले में, जिसकी रिपोर्ट **(2018) 14 एस.सी.सी 452** में दी गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक विवादों और दहेज हत्याओं से संबंधित अपराधों में दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही करते समय न्यायालयों को सावधान रहना चाहिए। पति के रिश्तेदारों को तब तक सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर नहीं फंसाया जाना चाहिए जब तक कि अपराध में उनकी संलिप्तता के विशिष्ट उदाहरण न हों।

14. कई निर्णय हैं और उनमें से कुछ, जिन्हें ऊपर उद्धृत किया गया है, वर्तमान मामले को तय करने के लिए पर्याप्त हैं।

15. वैवाहिक विवादों में पति के रिश्तेदारों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति, शिकायतकर्ता के साथ-साथ आरोपी पर मुकदमे के दीर्घकालिक प्रभाव का विश्लेषण किए बिना, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत उत्पन्न मामले में विचाराधीन है।

16. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हैं। शिकायत याचिका की विषय-वस्तु को देखने पर पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सभी आरोपियों ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया और दहेज की मांग की। याचिकाकर्ताओं में से किसी को भी उनके खिलाफ लगाए गए सामान्य आरोपों को आगे बढ़ाने में कोई विशेष भूमिका नहीं सौंपी गई है। अपराध को आगे बढ़ाने में प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई भूमिका का पता लगाना मुश्किल है, जो वर्तमान मामले का विषय है।

17. इसके अलावा, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा दायर की गई थी, जिस पर बाद में समझौता किया गया था और उसके बाद याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा वैवाहिक वाद संख्या 672/2017 दायर किया गया था और उक्त वाद में नोटिस प्राप्त करने के बाद, लगभग एक वर्ष के बाद वर्ष 2018 में वर्तमान शिकायत मामला दायर किया गया था और उस तथ्य को शिकायत मामले के पैराग्राफ 7 में स्वीकार किया गया है।

18. उपरोक्त तथ्यों, कारणों और विश्लेषण के मद्देनजर और यह मानते हुए कि याचिकाकर्ताओं को किसी विशिष्ट भूमिका के अभाव में, यह अन्यायपूर्ण होगा यदि याचिकाकर्ताओं को शिकायत पर मुकदमे की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, जहां सामान्य और बहुपक्षीय आरोप लगाए गए हैं। तदनुसार, गढ़वा के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित शिकायत वाद संख्या 04/2018 में दिनांक 21.03.2018 को संज्ञान लेने के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक वैवाहिक वाद संख्या 672/2017 का संबंध है, इसका निर्णय इस आदेश के प्रति पूर्वाग्रह के बिना कानून के अनुसार किया जाएगा, क्योंकि यह आदेश आपराधिकता के मापदंडों और सीआरपीसी की धारा 482 को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है।

20. तदनुसार, इस याचिका को स्वीकार किया जाता है और इसका निपटारा किया जाता है।

21. यदि कोई लंबित आई.ए. है, तो उसका निपटारा कर दिया गया है।

(न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी)

Ajay/ A.F.R

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।